

[2023] 6 एस. सी. आर. 563

/

SEBIL ELANGIMPALY v.

ओडिशा का राज्य

(2023 की आपराधिक अपील संख्या 1578) 18 मई, 2023

/

[के. एम. जोसेफ और अरविंद कुमार, जे. जे.]

जमानत-अस्वीकार-जब उचित न हो-अपीलार्थी पर यू/एस के तहत अपराध करने का आरोप लगाया जाता है। 20(ख) (ii) (ग) एन. डी. पी. एस. अधिनियम दो साल और 11 महीने से हिरासत में था-जमानत खारिज-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया: यह तथ्य कि जमानत पर रिहा किए गए सह-अभियुक्त ने आत्मसमर्पण नहीं किया, जमानत को अस्वीकार करने के लिए एक व्यापक कारक नहीं हो सकता है-आक्षेपित आदेश को दरकिनार कर दिया गया-उच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विचार किए जाने वाले मामले-स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 -एस. 20 (बी) (ii) (सी)।

/

/

आपराधिक अपीलीय आधिकारिता : 2023 की आपराधिक अपील No.1578।

2022 के बी. एल. ए. पी. एल. No.6803 में कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय के दिनांकित 20.01.2023 के निर्णय और आदेश से।

हितेंद्र नाथ रथ, डॉ. जे. प्रसंगी, आर. श्रीरामुलु, राजीव कपूर, विकास सिन्हा, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

/

सुश्री समपिका बिस्वाल, प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता। न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय दिया गया:

न्यायाधीश

/

1. अनुमति दी गई।

2. आक्षेपित आदेश वह है जिसके द्वारा अपीलार्थी द्वारा दायर जमानत के आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

3. अपीलार्थी पर स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 20 (बी) (ii) (सी) के अंतर्गत अपराध करने का आरोप लगाया गया है। अपीलार्थी दो साल और 11 महीने से हिरासत में है। आक्षेपित आदेश दूसरे जमानत आवेदन में पारित आदेश है। इससे पहले की जमानत याचिका 07.07.2022 पर खारिज कर दी गई थी। वास्तव में, राज्य के विद्वान वकील ने बताया कि उच्च न्यायालय से जमानत प्राप्त करने का एक और प्रयास विफल रहा है।

/

/

563 ए.

564

/

[2023] 6 एस सी आर।

4. जहाँ तक आक्षेपित आदेश की बात है, हम देखते हैं कि निम्नलिखित तर्क है:

“यह ध्यान में रखते हुए कि सह-अभियुक्त, जिसे तब से जमानत पर रिहा किया गया है, ने आत्मसमर्पण नहीं किया है, यह न्यायालय याचिकाकर्ता की जमानत याचिका पर विचार नहीं करने के लिए विवश है। ”

/

5. इसके बाद न्यायालय ने अपीलार्थी के मामले पर ध्यान दिया कि उसके पिता की सर्जरी हुई है और न्यायालय ने मामले के शीघ्र निपटारे का निर्देश दिया।

6. हमने अपीलार्थी के विद्वान वकील और राज्य के विद्वान वकील को भी सुना है जैसा कि उल्लेख किया गया है।

/

7. आक्षेपित आदेश से पता चलता है कि न्यायालय के साथ जो बात भारी पड़ी है वह यह है कि सह-आरोपी जिसे जमानत पर रिहा किया गया था, उसने आत्मसमर्पण नहीं किया है। जमानत याचिका पर विचार नहीं करने का कारण केवल यही है जिसे हम समझ सकते हैं।

8. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि यह तथ्य कि सह-अभियुक्त, जिसे जमानत पर रिहा किया गया था, ने आत्मसमर्पण नहीं किया है, सह-अभियुक्त, अर्थात् अपीलार्थी को जमानत देने से इनकार करने के लिए एक व्यापक कारक नहीं हो सकता है।

/

9. ऐसी परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि मामले पर उच्च न्यायालय के हाथों फिर से पुनर्विचार किया जाना चाहिए। अपील की अनुज्ञात है। आक्षेपित आदेश को अलग कर दिया जाता है। उच्च न्यायालय बी. एल. ए. पी. एल. सं. <आई. डी. 1. पर विचार करेगा और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित करेगा कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें आरोप विरचित किए गए हैं और राज्य द्वारा अभियोजन पक्ष के 19 गवाहों से पूछताछ करने का प्रस्ताव है।

/

10. हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह आवेदन पर विचार करे और आदेश की प्रति पेश करने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर जल्द से जल्द और यदि संभव हो तो इसका निपटारा करे।

/

दिव्या पांडे

अपील अनुज्ञात ।

/

(सहायक: रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

/